रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-73 REGISTERED No.D.(D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 31, 1981/कार्तिक 9, 1903
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 31, 1981/KARTIKA 9, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

(संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं)
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1981

आ० अ० 1313—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 54-साहेबगंज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बाबू जान मियां, ग्राम सोमगछ, पो० विष्णुपुर-कल्याण, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बाबूजान मिया को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०54/80(150)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDERS

New Delhi, the 28th July, 1981

O.N. 1313.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Babujan Mian, Village Somgath, P.O. Vishnupur Kalyan, Distt. Muzaffarpur, Bihar a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in May, 1980 from 54-Sahebganj constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Babujan Mian to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/54/80(150)]

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1981

आ० अ० 1314.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 137-बायसी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मुहम्मद शरीफ, ग्राम शादीपुर भुतहा, पो० बायसी, जिला पूर्णिया, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी उस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मुहम्मद शरीफ को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/137/80(180)]

New Delhi, the 13th August, 1981

O.N. 1314.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mohd. Sharif, Village Shadipur Bhutaha, P.O. Baisee, Distt. Purnea, Bihar a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in May, 1980 from 137-Baisee constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Mohd. Sharif to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/137/80(180)]

आ० अ० 1315—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 126-बनमनखी (अ० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री चुन्नी लाल राजवन्सी ऋषिदेव, ग्राम मन्ना खुदाबंद नगर, पो० सरसी, जिला पूर्णिया, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी उस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है :

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री चुन्नीलाल राजवन्सी ऋषिदेव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/126/80(181)]

O.N. 1315.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chuni Lal Rajvansi Rishideo, Village Mannakhuda-band Nagar, P.O. Sarsi, Purnea (Bihar), a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in May, 1980 from 126-Banmankhi (SC) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Chunilal Rajvansi Rishideo to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/126/80(181)]

नई दिल्ली 17 अगस्त 1981

आ० अ० 1316—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 138-कसबा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जगनाथ प्र० चौधरी, ग्राम व पो० परोरा, थाना के० नगर जिला पूर्णिया, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जगनाथ प्र० चौधरी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/138/80(183)]

New Delhi, the 17th August, 1981

O.N. 1316.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jagnath Pd. Chaudhary, Village & P.O. Parora, P. S. K. Nagar, Distt. Purnea, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 138-Kasba constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Jagnath Pd. Chaudhary to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR LA/138/80(183)]

आ० अ० 1317.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 138-कसबा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कासिम, ग्राम संझोली, पो० महमबिया, थाना कसबा, जिला पूर्णिया, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कासिम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि०स०/139/80(184)]

O.N. 1317.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kashim, Village Sanjhaili, P. S. Mahamdia, P. S. Kasba, Distt. Purnia, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 138-Kasba constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Kashim to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/138/80(184)]

आ० अ० 1318.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 125-धमदाहा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री परमानन्द सुरेन ग्राम दमैली कदम टोला, पो० मीरगंज खागड़ा, पूर्णिया, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री परमानन्द सुरेन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि०स०/125/80(185)]

O.N. 1318.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Parmanand Suren, Village Damaili Kadam Tole, P.O. Mirganj Khagaha, Distt. Purnea, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 125-Dhamdaha constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Parmanand Suren to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of the order.

[No. BR-LA/175/80(185)]

नई दिल्ली 18 अगस्त, 1981

आ० अ० 1319.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 209-दानापुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बृजेश सिंह, ग्राम सुपहुली, पो० पोआंवां, थाना मसौढ़ी जिला पटना, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बृजेश सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि०स०/209/80(188)]

New Delhi, the 18th August, 1981

O.N. 1319.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Brijesh Singh, Village Supahli, P.O. Pawaman, P.S. Masaurhi, Patna, Bihar a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in May, 1980 from 290-Danapur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And, whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Brijesh Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/209/80(188)]

आ० अ० 1320.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 209 दानापुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सुरेश प्रसाद, ग्राम सरारी, पो० खगौल, थाना दानापुर (पटना) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने असफल रहे हैं,

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सुरेश प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि०स०/209/80(189)]

O.N. 1320.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Suresh Prasad, Vill. Sarari, P.O. Khagaul, P.S. Danapur (Patna) Bihar a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in May, 1980 from 209-Danapur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Suresh Prasad to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/209/80(189)]

आ० अ० 1321 :—अतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 209-दानापुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राजेन्द्र राय, ग्राम हनुमानगंज, पो० दानापुर, थाना दानापुर, जिला पटना, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राजेन्द्र राय को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/209/80(190)]

O.N. 1321.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Rajendra Rai, Vill. Hanumanganj, P.O. Danapur, P.S. Danapur, Patna, Bihar a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in May, 1980 from 209-Danapur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Rajendra Rai to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/209/80(190)]

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1981

आ० अ० 1322 :—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 205-मसौढी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रामदेव प्रसाद यादव, ग्राम व पो० मसौढी, पटना (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रामदेव प्रसाद यादव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/205/80(210)]

New Delhi, the 31st August, 1981

O.N. 1322.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ramdeo Prasad Yadav, Village & P.O. Masaurhi, Patna (Bihar) a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in May, 1980 from 205-Masaurhi constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Ramdeo Prasad Yadav to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/205/80(210)]

आ० अ० 1323 :—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 205-मसौढी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बलबीर सिंह, ग्राम सुपहली, पो० पोआंव, पटना (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है।

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बलबीर सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० स०/205/80(211)]

O.N. 1323.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Balbir Singh, Village Supahli, Post Poawan, Patna (Bihar) a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in May, 1980 from 205-Masaurhi constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Balbir Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/205/80(211)]

नई दिल्ली 21 सितम्बर, 1981

आ० अ० 1324 :—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 193-अस्थावां निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रविन्द्रा प्रसाद, ग्राम व पो० सरमेरा, जिला नालन्दा, बिहार लोक

प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत, उक्त उम्मीदवार ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रविन्द्र प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/193/77(271)]

आदेश से,

एस० सी० जैन अवर सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग

New Delhi, the 21st September, 1981

O.N. 1324.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Rabindra Prasad, Village & P O. Sarmora, Distt. Nalanda Bihar, a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in June, 1977 from 193-Asthawan constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder:

And whereas the said candidate even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Rabindra Prasad to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No BR-LA/193/77(271)]

By order,

S C JAIN, Under Secy to the Election Commission of India

अधिसूचना

नई दिल्ली 29 सितम्बर 1981

आ० अ० 1325—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के परामर्श से श्री आर० के० अहुजा के स्थान पर श्री अशोक नाथ, उपायुक्त दिल्ली को उनके कार्यभार सम्भालने की तारीख से अगले आदेशों तक दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नाम निर्देशित करता है।

[सं० 154/दिल्ली/81]

आदेश से

के० गणेशन सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 1981

O N. 1325.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Administration of Union Territory of Delhi, hereby nominates Shri Ashok Nath, I.A.S Deputy Commissioner, Delhi as the Chief Electoral Officer for the Union Territory of Delhi with effect from the date he takes over charge and until further orders vide Shri **R. K.** Ahooja, I A S

[No. 154/DL/81]

By order,

K GANESAN, Secy,

Election Commission of India

आदेश

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1981

आ० अ० 1326—यत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि अप्रैल 1981 में हुए आंध्र प्रदेश विधान सभा उप निर्वाचन के लिए 111-चिराला निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सीथारामनजानेयुलु रेयीनेडी करमचेडु, चिराला तालुक प्रकासम जिला (आंध्र प्रदेश), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सीथारामनजानेयुलु रेयीनेडी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० आंध्र प्रदेश-वि० स०/111/81(उप)(58)]

ORDER

New Delhi, the 25th September, 1981

O.N 1326—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Seetharamajaneyulu, Rayinedi. Karamchedu, Chirala Tq, Prakesam District, (Andhra Pradesh) a contesting candidate for Bye-election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in April, 1981 from 111-Chirala Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure, and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Eelection Commission hereby declares the said Shri Seethramanjaneyulu Rayinedi to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Asstmbly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. AP-LA/111 81(Bye)(58)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 1981

O.N 1327. In pursuance of section 106 of the Represensation of the People Act, 1951 (43 of 1951). the Election Commission hereby publishes the order of the High Court of Karnataka dated 9 March, 1981 in Election Petition No. 76 of 1978

IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BANGALORE

Dated the 9th day of March, 1981

BEFORE

The Hon'ble Mr Justice M. N Venktachaliah

Election Petition No 76 of 1978

BETWEEN :

B. L. Shankar, S/o
B. K. Lokappa Gowda, Banakal,
Post, Mudigere Taluk,
Chickmagalur District.

Petitioner.

(By Sri K. Channabasappa, Advocate)

Versus

1. Indira Nehru Gandhi, 12, Wellingdon Crescent New Delhi.
2. D. Devaraj Urs. Chief Minister, Government of Karnataka, Balbrooi, Bangalore.
3. D. B. Chandre Gowda, MLC, Belt Road, Chickmagalur.
4. H. R. Basavaraj, Managing Editor, Samyuktha. Karnataka Daily, 2. Residency Road, Bangalore.
5. Veerandra Patil, 421, 10th Main, Rajamahal Vilas, Bangalore-6.
6. K. M. Akkamma, Vijayapura Extension, Chickmagalur,
7. Annaiah, Sadrahally, Y. Mallapura Post, Chickmagalur District.
8. Acltemesu M. M. Rein. 10-B, Avenue-3, Sector 2, Bilai, District Durga, Madhya Pradesh.
9. K. Armugam. B. H. Road, Mudaliar Colony, Kadur, Chickmagalur District.
10. Ailsighari Bhagavan Singh, Madhav Singh, 14, Mama Society, Ullasnagar-3,
11. Prof. Karuna Nidhan, Roy, Gandhivadi Congress Awns, Everest, 46-C, Chowringhee, Road, Calcutta-700071.
12. Khan Hyder Ali Khan, Proprieter, Tippu Travals, No. 24|7, J. C. Road, Bangalore-2.
13. Gopala Christna Keynee. Canara Hotel, Bus Stand Road, Chickmagalur.
14. G. V. Gopinathan, Jyothinilarya, Old Mysore, Bank Road, Chickmagalur.
15. Chavan Vilas Digambar, 566, A. Ward, Kolhapur-116002
16. V B. K. Dias, Advocate, Hesamane, Chickmagalur
17. Dr. G. I. D. D'souza, Bnlehitlu Estate, Moilandur Post, Chickmagalur, District-377130.
18. Thatte Kartar Singh Ganesh, M.H. No 358, K. Gangaram Khatri Chawl, Bombay-2.
19. Dr. P. Nallathampy Terah, Sultan Battery, Calicut, Kerala.
20. Basnavardhya, Ratnagiri Road. Chickmangalur.
21. Bhagwati Prasad Dixit, 104/82, Sisaman, Kanpur, Uttar Pradesh.
22. C. Mahadavaswary, 259/1, IInd Block, T.R. Nagar, Bangalore-28.
23. Mahinder Kumar Jain, Bungalow No. 29, Hoquitikat, Road, Jullundur Cantonment. PUNJAB.
24. M. Muniswamy, 94, 5th Block, Rajajinagar, Bangalore-10.
25. O.A. Varadhadesikan, A.F. 799, G. Block 1st Street Annanagar, Madras-40.
26. V. T. R. Vearappa Gawnder, No. 9, Chunnampet Road, Venkateshapuram, Acharapakam, Madurantakam Tuluk, Changalpet District, Tamil Nadu.
27. S.R. Veerabhadrappa, Shrirama Tempie Road, Blur, Chickmagalur District.
28. Shivanna, 2019, IInd Stage, Ist Block, Rajajinagar, Bangalore-560010.
29. K. V. Subramanyaswamy, Advocate, Someswarapura, TUMKUR-572102.
30. N. H. Hanumaiah, News Agent, No. 850, Sree Bhuvaneshwarswamy Temple, Street, Nagamangala Post, Mandya District.
31. Hotte Paksha Rangaswamy. No. 32, M.S. Tample Street. Nagartharpet Cross, Bangalore-2.

Respondents.

Sri G. V. Shantaraju, Advocate for the Respondent-1,
Sri K. S. Vyasa Rao, Advocate for the Respondent-13

Election Petition filed by the petitioner under Section 80 of the Representation of the People Act, 1951 challenging the Election of the Respondent to the Lok Sabha Chickmagalur Parliamentary Constituency No. 20 in the Karnataka State in Bye-election held on 6th November, 1978 and seeking orders from the Hon'ble Court may be pleased :

(1) to accept the Election Petition,

(2) to declare the election of the Respondent-1 from No. 20. Chickmagalur Parliamentary Constituency as void under Section 100(1)(a) of the Act,

(3) to declare the Respondent No. 5 as duly elected from above said Constituency (This prayer is deleted vide orders dated 16th November, 1979 on I.A.IX),

(4) to make an order at the time of final orders of the petitioner that the Respondents 2 to 4 are guilty of corrupt practices under Section 123(2)(3), (3A), (4), (6) and (9) of the Act,

(5) to award costs of the proceedings

This Election Petition coming on for orders for commencement of trial on the 9th day of March, 1981, in the presence of Sri K Channabasappa, Advocate for the petitioner and Sri G. V. Shantaraju, Advocate for the Respondent-1, Sri K S Vyasa Rao, Advocate for the Respondent-13; Respondent No. 19 in person (absent) and the Election Petition coming on for orders the Court made the following :—

ORDER

This matter is posted for commencement of trial.

On the previous occasion, i.e., on 16th February, 1981, it was posted for commencement of evidence; but neither the petitioner nor his witnesses were present. However, at the request of the petitioner's counsel, the matter was adjourned today as a last chance. The list of witnesses and list of documents were also, at the request of the petitioner's counsel, permitted to be filed before 28th February, 1981 with notice to respondents. This has not been done. However, when the matter was called today, the petitioner is absent; none of his witnesses is also present.

Sri K. Channabasappa, learned counsel for petitioner, wanted to file the list of documents and witnesses today in Court and stated that the matter may be adjourned for trial to some other date.

This Election Petition is an old one and as the matter stands posted to today for commencement of trial as a last chance, the matter cannot be adjourned without proper grounds. No reasons are at all forthcoming as to why the petitioner and his witnesses are absent and why petitioner wants an adjournment. At that stage Sri K. Channabasappa, learned counsel, filed a memo seeking to retire from the case pointing out that in spite of a registered notice from him to the client, which has been duly served on the client, his client has not turned-up.

In the circumstances stated in the memo, the memo is allowed to and leave to Sri Channabasappa to retire granted.

Petitioner, who is a voter in the "No. 20 Chickmagalur Parliamentary Constituency", challenges in the petition the election of Respondent-1 from the said constituency. In view of the circumstances that petitioner is absent in spite of the fact that this is the second date fixed for trial of the petitioner, I have no option except to dismiss this petition for non-prosecution. This Election petition is, accordingly, dismissed. There are three contesting respondents in this Election-petition viz., R 1, R. 13 and R. 19. R. 1 and R 13 are represented by Sri G. V. Shanta Raju and Sri Vyas Rao respectively. R. 19 who appears in person is, however, absent. I direct that petitioner shall pay the costs of the said three respondents. Advocate's fee fixed at Rs 250 in each case. Ordered accordingly.

Sd/-

M. N. VENKATACHALIAH, Judge

[No. 82/KT-HP/76/78]

V. K RAO, Under Secy

Election Commission of India

आदेश

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1981

आ० अ० 1328 —सिक्किम विधान सभा के लिए अक्तूबर, 1979 में हुए साधारण निर्वाचन में 15-गटेयपानी पश्चिम पेनगाम निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले एक अभ्यर्थी श्री पूर्ण बहादुर खाती, गंगटोक, पुराना बाजार, पूर्वी सिक्किम को निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने के कारण इसके तारीख 17 जनवरी, 1981 के आदेश सं० 76/सिक्किम-वि० स०/15/80/2367 द्वारा निरर्हित किया गया था,

और, उक्त श्री पूर्ण बहादुर खाती ने उनके ऊपर अधिरोपित निरर्हता को हटाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष एक अर्जी दाखिल की है जिसमें उन्होंने विधि द्वारा यथा अपेक्षित निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के कारण बताए हैं और अब उसके समर्थन में एक शपथ-पत्र भी दाखिल किया है,

और, भारत निर्वाचन आयोग ने उक्त अभ्यावेदन पर विचार किया है तथा मुख्य निर्वाचन आफिसर, सिक्किम से उनकी रिपोर्ट भी प्राप्त की है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने उन पर अधिरोपित निरर्हता का कालावधि घटा कर उतनी कर दी है जितनी कि वह पहले ही भोग चुके हैं और अनवसित कालावधि के लिए उनकी निरर्हता तारीख 9 सितम्बर, 1981 से हटा दी है ।

[सं० 76/सिक्किम-वि० स०/15/80]

ORDERS

New Delhi, the 9th September, 1981

O.N. 1328.—Whereas, Shri Purna Bahadur Khati, Gangtok, Purano Bazar, East Sikkim, a contesting candidate for general election to the Sikkim Legislative Assembly from 15-Rateypani West Penda constituency, held in October 1979, was disqualified by the Election Commission of India vide its Order No. 76/SKM-LA/15/80/2367 dated 17th January, 1981, under section 10A of the Representation of the People Act, 1951, for the failure to lodge the account of his election expenses as required by the said Act and the Rules made thereunder;

And whereas, the said Shri Purna Bahadur Khati has submitted a petition before the Election Commission of India for the removal of the disqualification imposed on him, giving reasons for his failure to lodge the account as required by law and has also since submitted an affidavit in support thereof;

And whereas, the Election Commission of India has taken into account the said representation and also obtained report from the Chief Electoral Officer, Sikkim;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 11 of the said Act, the Election Commission of India has reduced the period of disqualification imposed on him to the period of disqualification already suffered by him and removed the disqualification for the unexpired period with effect from 9th September, 1981.

[No. 76/SKM-LA/15/80]

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1981

आ० अ० 1329 :—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1981 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 139-पूर्णिया निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गुलाम रसूल, लाईन बाजार, पूर्णिया, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिये जाने पर सुनवाई लेने से इन्कार कर दिया तथा इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है । अतः निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गुलाम रसूल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि०स०/139/80(257)]

आदेश से,

सी० एल० राज, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

New Delhi, the 24th September, 1981

O.N. 1329.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gulam Rasual, line Bazar, Purnea, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 139-Purnea constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, when given due notice, refused to accept it and, has not given any reason or explanation for this the failure and the Election Commission is thus satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Gulam Rasul to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No BR-LA/139/80(257)]

By order,
C. L. ROSE, Under Secy.
to the Election Commission of India

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1981

आ० अ० 1330—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 308-थांदला (अ० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री वीर सिंह परमार, भीमपुरी पोस्ट काकनवानी (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री वीर सिंह परमार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म०प्र०वि०स० 308/80(206)]

New Delhi, the 25th August, 1981

O.N. 1330.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Vir Singh Parmar, Bheempuri Post Kakanvani (Madhya Pradesh), a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 308-Thandla (ST) Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Vir Singh Parmar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/308/80(206)]

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1981

आ० अ० 1331—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 273-इन्दौर-4 निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सत्यनारायण मूल चन्द थलौरे, मालीपुरा (सावरिया भेरु) इन्दौर (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सत्य नारायण मूल चन्द थलौर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म०प्र०-वि०स० 273/80(208)]

New Delhi, the 26th August, 1981

O.N. 1331.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Satyanaryan Moolchand Thallore, Malipura (Savaria Bheru), Indore (Madhya Pradesh), a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 273-Indore-4 Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Satyanaryan Moolchand Thallore to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/273/80(208)]

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1981

आ० अ० 1332—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 278-हाटपिपल्या निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सरदार दिवान सिंह लड्डा सिंह, 18-अ कर्मचारी कालोनी, देवास, जिला देवास (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः उक्त उम्मीदवार ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10-ए के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सरदार दिवान सिंह लड्डा सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म० प्र०-वि० स०/278/80 (212)]

New Delhi, the 29th August, 1981

O.N. 1332.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sardar Diwan Singh Ladda Singh, 18-A Karamchari Colony, Diwas District Dewas (M.P.) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 278-Hatpipalya constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Diwan Singh, Ladda Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA|278|80(212)]

आ० अ० 1333—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 278-हाटपिपल्या निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नगजी राम साथी, मकान नं० 22, ग्राम व पोस्ट नागदा, तहसील देवास, (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः उक्त उम्मीदवार ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नागजी राम साथी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म०प्र०-वि० स०/278/80(213)]

O.N. 1333.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nagji Ram Sathi, House No. 22, Village and Post Nagda, Tehsil Dewas (M.P.) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 178-Hatpipalya constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nagji Ram Sathi to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA|278|80(213)]

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1981

आ० अ० 1334—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 109-तानाखारा (अ०ज०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नैने सिंह ग्राम पोलमी, पोस्ट सिल्ली (परसदा), वाया पाली, जिला बिलासपुर (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नैने सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म०प्र०-वि०स०/109/80(231)]

New Delhi, the 9th September, 1981

O.N. 1334—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nain Singh, Village Polmi, P.O. Silli (Parasda) Via Pali, Distt. Bilaspur (Madhya Pradesh), a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 109-Tanakhara (ST) Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, that Election Commission hereby declares the said Shri Nain Singh to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA|109|80(231)]

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1981

आ० अ० 1335—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 112-लोरमी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शंकर प्रसाद, ग्राम धन्याडोली, पो० अखरार, वाया लोरमी, जिला बिलासपुर (मध्य प्रदेश), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शंकर प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म० प्र०-वि०स०/112/80(234)]

New Delhi, the 11th September, 1981

O.N. 1335.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shankar Prasad, Village Dhaniyadoli, Post Akhrar, Via-Lormi, District Bilaspur (M.P.) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 112-Lormi Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shankar Prasad to be disqualified for being chosen as,

and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA|112|80(234)]

आ० अ० 1336—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 118-मस्तूरी (अ० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मकरम सिंह, ग्राम धुरवाकारी, पो० पचपेड़ी, तहसील व जिला बिलासपुर (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मकरम सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म०प्र०-वि० स०/118/80(233)]

O.N. 1336.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Makram Singh, Village Dhurwakari, Post Pachpedi, Tehsil and District Bilaspur (M.P) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 118-Masturi (SC) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commissioin hereby declares the said Shri Makram Singh to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA|118|80|(233)]

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1981

आ० अ० 1337—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 29-मण्डावा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जगदीश सिंह पंवार, सेठ रायबहादुर कन्हैयालाल मुसदी मार्ग, मण्डावा, जिला झुनझुनू (राजस्थान) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है—

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जगदीश सिंह पवार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० राज०-वि०स०/29/80 (116)]

New Delhi, the 16th September, 1981

O.N. 1337.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jagdish Singh Panwar, Seth Raibahadur Kanheyalal Musdi Marg, Mandawa, District-Jhunjhunu (Rajasthan) a contesting candidate for general election to the Rajasthan Vidhan Sabha held in May, 1980 from 29-Mandawa constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jagdish Singh Panwar to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA|29|80(146)]

आ० अ० 1338—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 23-पिलानी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बजरंग लाल, मोहल्ला गढ़ के पास, ग्राम व पो० पिलानी, जिला झुनझुनू (राजस्थान) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बजरंग लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० राज०-वि०स० /23/80(147)]

O.N. 1338.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bajrang Lal, Mohalla Garh Ka Pass, Vill. and Post Pilani, Distt. Jhunjhunu (Rajasthan), a contesting candidate for general election to the Rajasthan Vidhan Sabha held in May, 1980 from 23-Pilani Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bajrang Lal to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA|23|80(147)]

आ० अ० 1339—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 27-नवलगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भगवान सिंह आर्य मु० व पो० दुर्जन पुरा, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुनझुनू (राजस्थान) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भगवान सिंह आर्य को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० राज-वि० स०/27/80(148)]

O.N. 1339.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhagwan Singh Arya, Village and Post—Durjanpura, Tehsil-Udaipurwati, Distt. Junjhuna (Rajasthan), a contesting candidte for general election to the Rajasthan Vidhan Sabha held in May, 1980 from 27-Nawalgarh Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhagwan Singh Arya to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA|27|80(148)]

आ० अ० 1340:—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 49-लालसोट (अ०ज०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बंजरंग लाल मीना, सरपंच ग्राम-पंचायत महारिया, पो० कल्याणपुर, तहसील लालसोट, जिला जयपुर (राजस्थान) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बंजरंग लाल मीना को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० राज-वि०स०/49/80(149)]

O.N. 1340.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bajrang Lal Meena, Sarpanch, Village Panchayat-Mahatiya, Post Kalyanpur, Tehsil Lalsot, Distt. Jaipur (Rajasthan) a contesting candidate for general election to the Rajasthan Vidhan Sabha held in May, 1980 from 49-Lalsot (ST) Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bajrang Lal Meena to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA|49|80(149)]

आ० अ० 1341:—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 249-कसोबा पैथ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रावल मोहन जे, 1136, बुधावर पैथ, तुलसीबाग पूने-2, जिला पूने, महाराष्ट्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रावल मोहन जे को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० महा-वि०स०/249/80 (181)]

O.N. 1341.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Rawal Mohan J, 1136, Budhawar Peth, Tulshibag, Pune-2, District Pune (Maharashtra) a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 249-Kasaba Peth constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder ;

And whereas after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Rawal Mohan J to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA|249|80(181)]

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1981

आ० अ० 1342:—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 25-खेतड़ी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हजारी लाल, मु० प्रतापपुरा, पो० बनाई, तहसील खेतड़ी, जिला झुनझुनू (राजस्थान) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री हजारी लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० राज-वि०स०/25/80 (150)]

New Delhi, the 17th September, 1981

O.N. 1342.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Hazari Lal, Village-Pratap pura, Post Babai, Tahsil-Khetri, District-Jhunjhunu (Rajasthan) a contesting candidate for general election to the Rajasthan Vidhan Sabha held in May, 1980 from 25-Khetri Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Hazari Lal to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/25/80(150)]

आ० अ० 1343—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 37-नीमकाथाना निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जवाहर सिंह, नीम का थाना, मुकाम गोडावास, जिला सीकर (राजस्थान) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जवाहर सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० राज-वि०स०/37/80(151)]

O.N. 1343.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jawahar Singh Neem Ka Thana, Village Godawas, District-Sikar (Rajasthan), a contesting candidate for general election to the Rajasthan Vidhan Sabha held in May, 1980 from 37-Neem Ka Thana Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jawahar Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/37/80(151)]

आ० अ० 1344—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 131-उमरेड निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बाकड़े एकनाथ गोविंदा, इतवारी वार्ड उमरेड, जिला नागपुर (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बाकड़े एकनाथ गोविंदा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा-वि०स०/131/80 (187)]

O.N. 1344.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bakade Eknath Govinda, Itwari Ward, Umred, Distt. Nagpur (Maharashtra), a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 13-Umred Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bakade Eknath Govinda to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for, a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/151/80(187)]

आ० अ० 1345—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 135-नागपुर दक्षिण निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गोरखेडे बाबूराव गोदरूजी, सोमवारपेठ, क्वाटर नं० 200/1 नागपुर जिला नागपुर (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गोरखेडे बाबूराव गोदरूजी सोमवारी पेठ को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा-वि०स०/135/80 (188)]

O N. 1345.—Whe eas the Election Commission is satisfied that Shri Gaurkhede Baburao Godaruji Somwaripeth, Quarter No 200/i, Nagpur District, Nagpur (Maharashtra), a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 135-Nagpur South Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gaurkhede Baburao Godaruji Somwaripeth to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/135/80(188)]

आ० अ० 1346—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 135-नागपुर दक्षिण निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री निम्बलकर वामन सुदामा, 10/2 एम० आई० जी० कलोनी, नागपुर-3, जिला नागपुर (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने मे असफल रहे है,

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है,

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण मे निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री निम्बलकर वामन सुदामा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा-वि०स०/135/80 (189)]

O.N. 1346.—Whereas the Election Commission is satisfied thtat Shri Nimbalkar Waman Sudama, 10/2, M.I.G. Colony, Nagpur-3, Distt. Nagpur (Maharashtra), a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 135-Nagpur South Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Electioin Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nimbalkar Waman Sudama to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/135/80(189)]

आ० अ० 1347—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 139-कटोल निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री चौके बाबूराव मरोतराव मु० व डा० बेलोना, तहसील कटोल, जिला नागपुर (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने मे असफल रहे है,

और यत, उक्त उम्मीदवार ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण मे निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री चौके बाबूराव मरोतराव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा-वि०स०/139/80 (190)]

O.N. 1347.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chauke Baburao Marotrao, At & Post Belona, Teh. Katol, Distt. Nagpur (Maharashtra), a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 139-Katol Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commissioin hereby declares the said Shri Chauke Baburao Marotrao to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/139/80(190)]

आ० अ० 1348—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 मे हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 139-कटोल निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कोरडे गंगाधर कोठीरामजी, आजाद वार्ड, नरखेड, तहसील कटोल, जिला नागपुर (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययो का लेखा दाखिल करने मे असफल रहे है,

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है,

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण मे निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कोरडे गंगाधर कोठीरामजी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा-वि० स०/139/80(191)]

O N. 1348.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Korde Gangadhar Kothiramji, Azad Ward, Narkhed, Tahsil Katol, Distt. Nagpur (Maharashtra), a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May,1980 from 139-Katol Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Korde Gangadhar Kothiramji to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-I A/139/80(191)]

आ० अ० 1349—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1480 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 139 कटोल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री चवाहण शकर महादिओराव, मु० वड़ाली (ख) डा० दिगरस (बी० के०) तहसील कटोल, जिला नागपुर (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण मे निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री चवाहण शकर महादिओराव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० महा-वि० स०/139/80 (192)]

O.N. 1349.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chavan Shankar Mahadeorao. At Wandali (Kh.) Post Digras (Bk), Tahsil Katol, Distt Nagpur (Maharashtra), a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 139-Katol Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Chavan Shankar Mahadeorao to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or fo the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/139/80(192)]

आ० आ० 1350.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 9 भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार कुंवर उम्मेद सिंह फौजदार, ग्राम कुछारा, पो० उमरानी जिला भरतपुर (राजस्थान) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने मे असफल रहे है ,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण मे निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त कुंवर उम्मेद सिंह फौजदार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० राज-लो० स०/9/80(39)]

आदेश से,

धर्म वीर, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग ।

O.N. 1350.—Whereas the Election Commission is satisfied that Kunwar Umaid Singh Faujdar, Village Kurwara, Post Usrani, District Bharatpur (Rajasthan) a contesting candidate for general election to the Lok Sabha held in January, 1980 from 9-Bharatpur Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Kunwar Umaid Singh Faujdar to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-HP/9/80(39)]

By Order,

DHARAM VIR, Under Secy.

Election Commission of India

मदुरई केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय

अधिसूचना

मदुरई, 14 अगस्त, 1981

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

आ० अ० 1351—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के नियम 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा संलग्न अनुसूची के स्तंभ 3 में उल्लिखित मदुरई केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियो को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में उक्त अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट विविध नियमों के अंतर्गत अपरिहार्य घटनाओं के कारण उत्पाद शुल्क्य माल का नष्ट या नाश हो जाने पर समाहर्ता की शुल्क परिहार देने की शक्तियो को, उक्त अनुसूची के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट परिसीमाओ के अधीन प्रयोग करने के लिए सशक्त करता हूं ।

[सं० 5/81/सी०सं०IV/10/190/79 के० उ० शु०-2]

आर० जयरामन, समाहर्ता

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम 1944 के अंतर्गत समाहर्ता की शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित विवरण

के०उ०शु० नियम	प्रत्यायोजित शक्ति का प्रकार	अधिकारी जिसे प्रत्यायोजित किया गया है	परिसीमाएं
1	2	3	4
19(2)	नियम 37 के अन्तर्गत उचित अधिकारी को भेजे जाने वाले वार्षिक विवरणी भेजने के पूर्व या भेजने के बाद, संमादक के प्राइवेट भांडागरण में अनिर्मित माल न लाने के पूर्व अपरिहार्य घटनाओं के कारण माल का नष्ट या नाश हो जाने पर, उत्पादन शुल्क परिहार देने की शक्ति/ परन्तु, घटना का पता लगाने के 48 घंटों के अंदर, रेंज अधिकारी को उस नष्ट या नाश या नोटिस दे देना है।	अधीक्षक	शुल्क राशि रु० 1000 से न अधिक
27(4)	अपरिहार्य घटना के कारण, संमादक के प्राइवेट भांडागरण में रखा गया अनिर्मित माल का नष्ट हो जाने पर उत्पाद शुल्क परिहार देने की शक्ति ।	सहायक समाहर्ता	रु० 1000 से अधिक, परन्तु रु० 2500 से न अधिक
49	भांडागार में या अनुमोदित परिसरों में रखा गया उत्पाद शुल्क्य माल का प्रभारण या भांडागरण के दौरान सहज कारणों या अपरिहार्य घटनाओं के कारण नष्ट या नाश हो जाने पर शुल्क परिहार देने की शक्ति	अपर समाहर्ता	रु० 2500/ से अधिक परन्तु रु० 5000 से न अधिक
147	अपरिहार्य घटनाओं के कारण भांडगरित माल का नष्ट या नाश हो जाने पर शुल्क परिहार देने की शक्ति । परन्तु, उसकी सूचना भांडागार के प्रभारी अधिकारी को उस नष्ट या नाश का पता लगाने के 48 घंटों के अंदर दे देना है ।		
196	औद्योगिक प्रयोजनों के लिए लाया गया उत्पाद शुल्क्य माल सहज कारणों या अपरिहार्य घटनाओं के कारण, प्राप्त स्थान से औद्योगिक उपयोगकर्ता के परिसरों में ले जाने के दौरान या प्रभारण या नियम 192 के अंतर्गत अनुमोदित परिसरों में भांडागरण के दौरान नष्ट या नाश हो जाने पर शुल्क परिहार देने की शक्ति ।		

The Madurai Central Excise Collectorate

NOTIFICATION

Madurai, the 14th August, 1981

CENTRAL EXCISE

O.N. 1351.—In exercise of the powers conferred on me by rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I hereby empower the Central Excise Officers of the Madurai Central Excise Collectorate mentioned in column 3 of the schedule hereto attached to exercise within their respective jurisdiction, the powers of the Collector for remission of Central Excise duty on excisable goods lost or destroyed by unavoidable accidents under the various rules specified in Column. 1 of the said schedule subject to the limitation set out in column 4 thereof.

[No. 5/81/C. No. IV/16/190|79-CX.2]

R. JAYARAMAN, Collector

Statement showing delegation of Collector's powers under C.E. Rules, 1944

Central Excise Rules	Nature of powers delegated	Officers to whom delegated	Limitation
1	2	3	4
19(2)	Power to remit Central Excise duty on Unmanufactured products which have not been deposited in the curers private store room and lost or destroyed by unavoidable accidents or natural causes before or after the curer renders the annual return under Rule 37 to the proper officer, provided that the notice of such loss or destruction is given to the Range Superintendent within 48 hours after the discovery of the occurrence.	Superintendent:	Amount of duty Not exceeding Rs. 1000/-
27(4)	Power to remit Central Excise duty on Unmanufactured products lodged in a curer's private store room and lost by unavoidable accident.	Assistant Collector	Exceeding Rs. 1000/- but not exceeding Rs. 2500/-
49	Power to remit duty on excisable goods stored in the store room or other approved premises and lost or destroyed by natural causes or by unavoidable accident during handling or storage.	Additional Collector	Exceeding Rs. 2500/- but not exceeding Rs. 5000/-

1	2	3	4
147	Power to remit duty on warehoused goods lost or destroyed by unavoidable accident provided that notice thereof is given to the officer in charge of the warehouse within 48 hours after the discovery of such loss or destruction.		

1	2	3	4
196	Power to remit duty on excisable goods obtained for industrial purposes and lost or destroyed by natural causes or by unavoidable accident during transport from the place of procurement to the premises of industrial user or during handling or storage in the premises approved under Rule 192.		

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI-110054, 1981